श्री कामेश्वर सिंह (सहायक प्रोफेसर)
राजनीति विभाग, शेरशाह महिला कॉलेज सासाराम।
वर्ग – बी॰ ए॰ पार्ट – I (प्रतिष्ठा)
पत्र – प्रथम, यूनिट नं० – 21
राजनीतिक सिद्धान्त – डॉ० पुखराज जैन
दिनांक – 16-07-2020

अनुपातिक प्रणाली के शेष भाग……

2.) सूची प्रणाली (List system) —— यह प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक स्वरूप है इसके अंतर्गत मतदान व्यक्तिगत आधार पर ना करके दल के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक दल अलग – अलग अपनी सूची तैयार करती है और मतदाता दल के उम्मीदवारों की सूची के आधार पर ही मतदान करती है मतगणना में प्रत्येक सूची के लिए डाले गए मतों की संख्या अलग – अलग गणना की जाती है और दल को प्राप्त मत संख्या के अनुपात में उसके निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या निश्चित की जाती है अतः इस प्रणाली में मतदान दल के आधार पर की जाता है न कि व्यक्तिगत आधार पर।

गुण :— अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं।

1.) इस प्रणाली के कारण सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

2.) इसमें अल्पसंख्यक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ अत्याचार नहीं कर पाते।

3.) लार्ड ऐक्टन (lord action) के अनुसार यह वास्तविक प्रजातंत्रवादी है। क्योंकि इसमें जन साधारण लोगों की शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है जिससे वैसे कोई अड़चन नहीं होती है।

4.) इसमें चुनाव जुआ नहीं होता है क्योंकि बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की व्यवस्था इस प्रणाली में पायी जाती है।

5.) इसके कारण विभिन्न वर्गों में चेतना आती है तथा उदासीनता की भावना नहीं जाग्रत हो पाती।

6.) चूंकि विभिन्न वर्गों के श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही चुना जाता है अतः व्यवस्थापिका का स्तर ऊँचा होता है।

7.) कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाती।

8.) मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है।

9.) चूंकि इसमें बहुमत निरंकुश नहीं हो पाता अतः मुख्तसार का बाजार गर्म नहीं होता।

10.) चूंकि इसमें सभी वर्ग के साथ न्याय होता है इसलिए यह कहा जाता है कि यह प्रणाली न्याय पर आधारित होती है।

11.) इसमें निर्वाचन के मनमाने ढंग से बटवारा का भूमि नहीं की जा सकती क्योंकि वोट तो अनुपात में दिया जाता है।

दोष :— गुण के साथ-साथ इस प्रणाली में अन्य त्रुटियाँ भी हैं जो इस प्रकार हैं।

1.) यह प्रणाली अधिक जटिल है और जनसाधारण के समझ में आने में कठिनाई होती है।

2.) इस प्रणाली के चलते राज्य में अनेक गुट बन जाते हैं

जाते हैं तथा राष्ट्र की एकता नष्ट हो जाती है।

3.) चुकी इसमें अनेक दल होते हैं इसलिए इसमें प्रत्याशी एवं मतदाता सम्पर्क नहीं हो पाता है।

4.) अनेक दल होने की वजह से सरकार स्थायी नहीं होती है इसमें आए दिन सरकार का पतन होते रहता है।

5.) इसका निर्वाचन क्षेत्र काफी विशाल होता है इसलिए मतदाता और प्रत्याशी में परस्पर सम्पर्क नहीं हो पाता है।

6.) इसके कारण देश विभिन्न वर्गों में बंट जाता है जिससे जातीयता का जन्म होता है।

7.) चुकी इसमें आए दिन सरकार का पतन होते रहता है इसलिए सरकार अपनी असफलताओं को दूसरों पर डाल देती है।

8.) यह प्रणाली उपचुनावों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उपचुनाव में एक ही व्यक्ति निर्वाचित होने वाला होता है।

निष्कर्ष (Conclusion) — यह प्रणाली अत्यधिक जटिल है इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम देशों में होता है। भारत में इसका प्रयोग राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए किया जाता है यद्यपि यह स्थिति अत्यन्त ही जटिल होते हुए भी काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है इसके संबंध में हम J.S मील से सहमत हो सकते हैं — " सच्चे प्रजातंत्र के अन्तर्गत प्रत्येक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ,

Scanned with CamScanner